

पटना के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की आपराधिक विविध संख्या : 27623

जिला मुंगेर पुलिस थाना से उत्पन्न मामला मुंगेर पुलिस नगर थाना संख्या - 687/2015

=====

1. सुरेंद्र कुमार, पुत्र-स्वर्गीय हृदय नारायण ।

2. संजय कुमार, पुत्र-श्री सुरेंद्र कुमार ।

दोनों निवासी, डलहट्टा बाजार, पुलिस थाना-कोतवाली, जिला-मुंगेर, वर्तमान में अस्पताल
मोड़, जहानाबाद, पुलिस थाना-जहानाबाद , जिला-जहानाबाद।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य

2. प्रमोद भूषण प्रकाश, पुत्र - तारा चंद, निवासी डलहट्टा बाजार, पी. एस.- कोतवाली, जिला-
मुंगेर।

..... विपक्षी

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री गोपाल झा, अधिवक्ता।

श्री कुमार चंद्र शेखर, अधिवक्ता।

राज्य के लिए: श्री सत्यव्रत वर्मा, सहायक लोक अभियोजक।

विरोधी पक्ष संख्या-2 के लिए : श्री सूर्य नारायण साह, अधिवक्ता।

=====

दंड प्रक्रिया संहिता ---धारा 482, 200, 202 ---भारतीय दंड संहिता ---323, 420, 467, 468, 504---आईपीसी के तहत जालसाजी और धोखाधड़ी के घटक---शिकायतकर्ता से संबंधित जमीन की संपत्ति को आरोपी-याचिकाकर्ता द्वारा बेचे जाने के आरोप पर आईपीसी की धारा 323, 420, 467, 468, 504 के तहत अपराध के लिए संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने की याचिका।

निष्कर्ष: विचाराधीन विक्रय-पत्र निष्पादित करते समय किसी भी आरोपी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण का कोई आरोप नहीं है---विचाराधीन विक्रय-पत्र वास्तविक है तथा जाली दस्तावेज नहीं है---क्या यह हस्तान्तरित को स्वामित्व हस्तांतरित करता है, यह एक कानूनी प्रश्न है जिसका निर्णय सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा किया जाना है---भारतीय दंड संहिता की धारा 467 या 468 आरोपी-याचिकाकर्ता के विरुद्ध लागू नहीं होती---धोखे से या बेईमानी से प्रलोभन देकर धोखा देने वाले के विरुद्ध आरोपी द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत अपराध बनाने के लिए अनिवार्य शर्त है---शिकायतकर्ता का कोई आरोप नहीं है कि किसी आरोपी ने उससे कोई संपत्ति देने के लिए कोई प्रतिनिधित्व किया है, तथा ऐसे में, किसी प्रतिनिधित्व के अभाव में, शिकायतकर्ता द्वारा किसी धोखाधड़ी या बेईमानी से प्रलोभन देने का प्रश्न ही नहीं उठता---खरीदार स्वामित्व तभी हस्तांतरित करवा सकता है जब विक्रेता के पास संपत्ति का स्वामित्व हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने स्वामित्व से बेहतर स्वामित्व हस्तांतरित नहीं कर सकता---धारा 420 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मामला बनता है-वर्तमान मामले के कथित तथ्य और परिस्थितियां, अधिक से अधिक, पक्षों के बीच विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का विवाद बनाती हैं, जिसके लिए सिविल न्यायालय में उचित सिविल वाद दायर

करके उपचार किया जा सकता है - न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आरोपित आदेश को रद्द किया जाता है और उसे अलग रखा जाता है - याचिका स्वीकार की जाती है। (पैरा- 19, 21, 22, 26)

सीआरपीसी---धारा 482---क्षेत्र और दायरा----किसी भी अपराध का संज्ञान लेने और शिकायत मामले में किसी भी आरोपी को सम्मन जारी करने के लिए, शिकायत में लगाए गए आरोप और जांच के दौरान शिकायतकर्ता और उसके गवाहों द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध का पता चलना चाहिए---ऐसा आरोप या बयान स्पष्ट रूप से बेतुका और विवेकशील दिमाग के लिए स्वाभाविक रूप से असंभव नहीं होना चाहिए---बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं और यदि दिए गए तथ्यों के आधार पर केवल सिविल विवाद बनता है, तो शिकायत या संज्ञान/सम्मन आदेश को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए रद्द कर दिया जाना चाहिए। (पैरा-7)

2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 6330, 2023 एससीसी ऑनलाइन पैट 9582, एआईआर 2011 एससी 1713, (2009) 8 एससीसी 751, (2021) 14 एससीसी 626, (2018) 8 एससीसी 67पर भरोसा किया गया।

=====

माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

मौखिक निर्णय

तारीख: 23-01-2025

वर्तमान याचिका याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांकित 18.04.2016 के अक्षेपित आदेश के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है, जिसमें श्री अरविंद कुमार सिंह, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुंगेर ने 2015 की आपराधिक परिवाद संख्या 687 में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 420, 467, 468 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों में याचिकाकर्ताओं सहित आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञान लिया है।

2. याचिकाकर्ताओं और अन्य तीन सह-अभियुक्तों के खिलाफ एक प्रमोद भूषण द्वारा आपराधिक परिवाद दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि *मौज़ा डलहट्टा बाजार* में स्थित 5 कट्टों भूमि पर तौज़ी संख्या 1338, वार्ड संख्या 4, होल्डिंग संख्या 571 (नया), 69 (पुराना) वाले निर्मित घर का एक पंजीकृत बिक्री किया गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार ने उसी भूमि स 1 कट्टा फिर से सह-अभियुक्त श्रीमती शशि देवी और मनोज कुमार विश्वकर्मा को दिनांक 12.06.2015 के पक्ष में बेच दिया था और उसके बाद, खरीदार श्रीमती शशि देवी और मनोज कुमार विश्वकर्मा परिवादी के घर आए और उसके कब्जे की मांग करने लगे।

3. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, राज्य के लिए विद्वान सहायक लोक अभियोजक और विरोधी पक्ष संख्या-2 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील दलील करते हैं कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वह आगे दलील करते हैं कि

आरोप के अनुसार, याचिकाकर्ताओं या किसी अन्य आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया गया है क्योंकि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता या किसी आरोपी ने परिवादी को कोई गलत जानकारी दी है या उसे किसी संपत्ति के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित किया है, और न ही कोई आरोप है कि कोई दस्तावेज जाली और मनगढ़ंत है। आरोप के अनुसार, बिक्री विलेख वास्तविक है और जाली नहीं है, हालांकि, यह आरोप लगाया जाता है कि याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार ने संपत्ति में किसी भी स्वामित्व के बिना विचाराधीन बिक्री विलेख को निष्पादित किया है, क्योंकि वह पहले ही 1957 में परिवादी को वही संपत्ति बेच चुका था।

5. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान एपीपी और विरोधी पक्ष संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने अक्षेपित आदेश का बचाव करते हुए कहा कि अक्षेपित आदेश में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है और इसलिए, वर्तमान याचिका खारिज होने योग्य है।

6. विरोधी पक्ष संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने दलील किया कि याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार ने पहले ही 1957 में विचाराधीन भूमि परिवादी को बेच दिया था और उसके बाद, उसका अब इसमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन संपत्ति में स्वामित्व और हित की इतनी कमी के बावजूद, उन्होंने श्रीमती शशि देवी और मनोज कुमार विश्वकर्मा के पक्ष में 12.06.2015 पर बिक्री विलेख को फिर से निष्पादित किया है और इसलिए, उन्होंने परिवादी/ओ. पी. नंबर 2 के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की है।

7. इससे पहले कि मैं पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ूं, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के दायरे और दायरे को देखना उचित होगा। **अमित सिन्हा बनाम बिहार राज्य, (2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 6330) और हरिहर साह और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (2023 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 9582),** जिसमें यह न्यायालय, प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों और बाध्यकारी न्यायिक उदाहरणों का

उल्लेख करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी भी अपराध का संज्ञान लेने और शिकायत मामले में किसी भी आरोपी को समन जारी करने के लिए, शिकायत में लगाए गए आरोप और परिवादी और उसके गवाहों द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 दं प्र स के तहत जांच के दौरान दिए गए बयानों के आधार पर *प्रथम दृष्टया* अपराध किया जाना चाहिए। हालाँकि, इस तरह के आरोप या बयान स्पष्ट रूप से बेतुके और विवेकपूर्ण दिमाग के लिए स्वाभाविक रूप से असंभव नहीं होने चाहिए। इसके अलावा, शिकायत में और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत जांच के दौरान लगाए गए आरोप/बयानों की जांच की समग्र रूप से जानी चाहिए, लेकिन इस स्तर पर ऐसे बयानों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। बयानों को उनके अंकित मूल्य पर लिया जाना चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है या नहीं। इसके अलावा, यदि तथ्यों का दिया गया समूह केवल एक दीवानी विवाद बनाता है, तो अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए शिकायत या संज्ञान/समन आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

क्या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

8. अब, विचार के लिए सवाल यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप या गवाहों के बयान, जो उनके समर्थन में उनके अंकित मूल्य पर दर्ज किए गए हैं, अभियुक्त के खिलाफ कोई मामला बनाते हैं।

9. शिकायत में लगाए गए आरोप और धारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत जांच के दौरान परिवादी और उसके गवाहों के बयानों के अनुसार, विद्वान दंडाधिकारी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 420, 467, 468 और 504 के दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया है।

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 467 में मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी के लिए सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उपयोग करने के इरादे से जालसाजी करने के लिए सजा का प्रावधान करती है। अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती है।

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 420 धोखाधड़ी के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने के लिए धोखा देने वाले व्यक्ति को बेईमानी से प्रेरित करना या मूल्यवान प्रतिभूति या कुछ भी जो हस्ताक्षरित या सील किया गया है और जो एक मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे बनाना, बदलना या नष्ट करना है। इस अपराध के लिए सात साल तक की सजा हो सकती है।

12. वर्तमान मामले पर आते हुए, मैंने पाया कि आरोप का योग और सार यह है कि परिवादी की भूमि संपत्ति को आरोपी-याचिकाकर्ता, सुरेंद्र कुमार द्वारा दिनांकित बिक्री विलेख द्वारा बेचा गया है।

13. इस न्यायालय के विचार के लिए पहला सवाल यह उठता है कि क्या अभियुक्त/याचिकाकर्ता, सुरेंद्र कुमार द्वारा अभियुक्त, शशि देवी और मनोज कुमार के पक्ष में निष्पादित बिक्री-विलेख को जाली दस्तावेज माना जा सकता है।

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 463 में जालसाजी को परिभाषित किया गया है जो निम्नलिखित रूप में प्रदान करता है:

“463. जालसाजी।— जो कोई भी जनता को नुकसान या चोट पहुँचाने के इरादे से कोई भी झूठा दस्तावेज या झूठा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता है या किसी व्यक्ति के लिए, या किसी दावे या अधिकार का समर्थन करने के लिए, या किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए प्रेरित करना, या किसी

स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करना, या धोखाधड़ी करने के इरादे से या धोखाधड़ी की जा सकती है, जालसाजी करता है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुशील सूरी बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,[एक. आई. आर. 2011 एस सी 1713] के मामले में जालसाजी की मूल सामग्री जैसा कि समझाया गया है, इस प्रकार है :

“1) किसी झूठे दस्तावेज़ या उसके हिस्से को बनाना और (2) ऐसा बनाना उस इरादे से होना चाहिए जो धारा में निर्दिष्ट है।, (क) (i) जनता, या (ii) किसी व्यक्ति को नुकसान या उल्लंघन करना; या (ख) किसी दावे या स्वामित्व का समर्थन करना; या (ग) किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए प्रेरित करना, या (घ) किसी प्रति पुत्र को एक स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना; या (ङ) धोखाधड़ी करना या धोखाधड़ी करना। “1) किसी झूठे दस्तावेज़ या उसके हिस्से को बनाना और (2) ऐसा बनाना उस इरादे से होना चाहिए जो धारा में निर्दिष्ट है।, (क) (i) जनता, या (ii) किसी व्यक्ति को नुकसान या उल्लंघन करना; या (ख) किसी दावे या स्वामित्व का समर्थन करना; या (ग) किसी व्यक्ति को संपत्ति से अलग करने के लिए प्रेरित करना, या (घ) किसी प्रति पुत्र को एक स्पष्ट या निहित अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करना; या (ङ) धोखाधड़ी करना या धोखाधड़ी करना।

16. भारतीय दंड संहिता की धारा 464 झूठे दस्तावेज़ बनाने को परिभाषित करती है। वह इस प्रकार है:

“464. झूठा दस्तावेज़ बनाना।—

एक व्यक्ति को झूठा दस्तावेज़ या झूठा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख बनाने के लिए कहा जाता है-पहला-जो बेईमानी या धोखाधड़ी से -

(क) किसी दस्तावेज़ या दस्तावेज़ के हिस्से को बनाता है, हस्ताक्षर करता है, मुहर लगाता है या निष्पादित करता है;

(ख) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का हिस्सा बनाता है या प्रसारित करता है;

(ग) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को चिपकाता है;

(घ) किसी दस्तावेज़ के निष्पादन या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को दर्शाने वाला कोई भी निशान बनाता है, यह विश्वास दिलाने के इरादे से कि ऐसा दस्तावेज़ या दस्तावेज़ का हिस्सा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किसी ऐसे व्यक्ति के प्राधिकरण द्वारा या उसके द्वारा किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे, मुहर लगाई गई थी, निष्पादित किया गया था, प्रेषित किया गया था या चिपकाया गया था जिसके द्वारा या जिसके अधिकार से वह जानता है कि यह नहीं बनाया गया था, हस्ताक्षर नहीं किया गया था, मुहर नहीं लगाई गई थी, निष्पादित नहीं किया गया था या चिपकाया गया था; या

दूसरा-जो, वैध अधिकार के बिना, बेईमानी से धोखाधड़ी से, रद्द करके या अन्यथा, किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को उसके किसी भी भौतिक हिस्से में, खुद या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के साथ बनाए जाने, निष्पादित या चिपकाए जाने के बाद, बदल देता है, चाहे वह व्यक्ति इस तरह के परिवर्तन के समय जीवित हो या मृत; या

तीसरा-जो बेईमानी या धोखाधड़ी से किसी व्यक्ति को किसी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर हस्ताक्षर करने, मुहर लगाने, निष्पादित करने या बदलने का कारण बनता है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अपने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर लगाने का कारण बनता है, यह जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति मन की अस्वस्थता या नशा के कारण नहीं कर सकता है, या यह कि उस पर किए गए धोखे के कारण, वह दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की सामग्री या परिवर्तन की प्रकृति को नहीं जानता है।

दृष्टांत

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास मोहम्मद इब्राहिम और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य[(2009) 8 एससीसी 751]] के सतत् और अन्य मामले में समान तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने का अवसर मिला, जो बिहार के मधुबनी जिले से आए थे। इस मामले में भी परिवादी ने आरोप लगाया था कि उसकी जमीन को आरोपी ने जमीन पर बिना किसी अधिकार के बेच दिया था। सह-अभियुक्त बिक्री-विलेख के संबंध में गवाह, लेखक और विक्रेता थे। विद्वान दंडाधिकारी ने आई. पी. सी. की धारा 467, 471, 420 और कुछ अन्य धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 464 के विश्लेषण के बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित निर्णय दिया:

“17. जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी संपत्ति का दावा करते हुए दस्तावेज़ निष्पादित किया जाता है जो उसकी नहीं है, तो वह यह दावा नहीं कर रहा है कि वह कोई और है और न ही वह यह दावा कर रहा है कि वह किसी और द्वारा अधिकृत है। इसलिए, ऐसे दस्तावेज़ का निष्पादन (कुछ संपत्ति को व्यक्त करने के लिए जिसका वह स्वामी) संहिता की धारा 464 के तहत परिभाषित एक झूठे दस्तावेज़ का निष्पादन नहीं है। यदि जो निष्पादित किया जाता है वह झूठा दस्तावेज़ नहीं है, तो कोई जालसाजी नहीं है। यदि कोई जालसाजी नहीं है, तो न तो धारा 467 और न ही संहिता की धारा 471 आकर्षित होती है।

(जोर दिया गया)

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, [(2021) 14 एस. सी. सी. 626] मामले में भी निम्नलिखित निर्णय दिया:

“24. एक धोखाधड़ी, मनगढ़ंत या जाली विलेख का अर्थ एक ऐसा विलेख हो सकता है जिसे वास्तव में निष्पादित नहीं किया गया था, बल्कि एक ऐसा विलेख जो प्रत्यक्ष निष्पादकों के जाली हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी से बनाया गया था। यह कहना एक बात है कि बेला रानी ने धोखाधड़ी से संपत्ति की बिक्री को अधिकृत करने के लिए एक मुख्तारनामा को निष्पादित किया, यह जानते हुए कि उसके पास संपत्ति देने का कोई अधिकार नहीं था। यह कहना एक और बात है कि पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप में एक

जाली, धोखाधड़ी, मनगढ़ंत या निर्मित था, जिसका अर्थ है कि इसे बेला रानी द्वारा कभी निष्पादित नहीं किया गया था। उसके हस्ताक्षर जाली थे। यह समझना असंभव है कि जांच अधिकारी प्रथम दृष्टया कैसे संतुष्ट हो सकते थे कि विलेख जाली या मनगढ़ंत था या धोखाधड़ी थी, यहां तक कि स्पष्ट निष्पादक बेला रानी की जांच किए बिना, जिसे गवाह के रूप में भी उद्धृत नहीं किया गया है।

19. हाथ में दिए गए मामले में भी, विचाराधीन बिक्री-विलेख को निष्पादित करते समय किसी भी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण का कोई आरोप नहीं है। किसी ने भी परिवादी या किसी और के जाली हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अभियुक्त, सुरेंद्र कुमार ने सह-अभियुक्त शशि देवी और मनोज कुमार के पक्ष में विचाराधीन भूमि के संबंध में बिक्री-विलेख को निष्पादित किया है। इसलिए, विचाराधीन बिक्री-विलेख वास्तविक है और जाली दस्तावेज नहीं है। क्या यह हस्तांतरणकर्ता को अधिकार देता है, यह एक कानूनी प्रश्न है जिसका निर्णय सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाना है। लेकिन धारा 467 या भारतीय दंड संहिता की धारा 468 अभियुक्त-याचिकाकर्ता के खिलाफ आकर्षित नहीं होती है।

20. जहां तक मामले के कथित तथ्यों और परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के लागू होने का सवाल है, मैं पाता हूं कि इस धारा के तत्व इस प्रकार हैं जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहम्मद इब्राहिम** मामले में समझाया है

मामला (ऊपर):

“18.....

(क) किसी व्यक्ति को या तो गलत या भ्रामक प्रतिनिधित्व करके या बेईमानी से छिपाकर या किसी अन्य कार्य या चूक द्वारा धोखा देना;

(ख) उस व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को देने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे बनाए रखने के लिए सहमति देने के लिए धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन देना या जानबूझकर उस व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना या ऐसा कुछ करने के लिए छोड़ना जो वह नहीं करेगा या अगर वह ऐसा नहीं करता तो छोड़ देगा; और

(ग) ऐसा कार्य या चूक जिससे उस व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान या हानि पहुँचती है या होने की संभावना है।

19. धारा 420 के तहत अपराध का गठन करने के लिए, न केवल धोखाधड़ी होनी चाहिए, बल्कि इस तरह की धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप, आरोपी को बेईमानी से व्यक्ति को धोखा देने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

(i) किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति देने के लिए, या

(ii) किसी मूल्यवान् प्रतिभूति को पूरी तरह से या आंशिक रूप से बनाना, बदलना या नष्ट करना (या कुछ भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद और जो एक मूल्यवान् प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम है)।

20. जब किसी बिक्री विलेख को किसी संपत्ति के स्वामित्व का दावा करते हुए निष्पादित किया जाता है, तो ऐसे बिक्री विलेख के तहत खरीदार के लिए यह आरोप लगाना संभव हो सकता है कि विक्रेता ने स्वामित्व का गलत प्रतिनिधित्व करके उसे धोखा दिया है और धोखाधड़ी से उसे बिक्री के विचार से अलग होने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस मामले में शिकायत खरीदार की नहीं है। दूसरी ओर, खरीदार को सह-अभियुक्त बनाया जाता है।

21. यह परिवादी का मामला नहीं है कि अभियुक्त ने या तो झूठा या भ्रामक अभ्यावेदन देकर या किसी अन्य कार्रवाई या चूक से उसे धोखा देने की कोशिश की, और न ही यह उसका मामला है कि उन्होंने उसे किसी भी संपत्ति को देने या किसी व्यक्ति द्वारा उसे बनाए रखने के लिए सहमति देने के लिए किसी भी धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन की पेशकश की या जानबूझकर उसे ऐसा कुछ करने या छोड़ने के लिए प्रेरित किया जो वह नहीं करेगा या छोड़ देगा यदि वह ऐसा धोखा नहीं दिया गया था। न ही परिवादी ने यह आरोप लगाया कि पहले अपीलार्थी ने बिक्री विलेखों को निष्पादित करते समय परिवादी होने का नाटक किया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि पहले अभियुक्त ने दूसरे अभियुक्त या दूसरे अभियुक्त के पक्ष में खरीददार होने के कारण या तीसरे, चौथे और पांचवें अभियुक्त के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के कार्य द्वारा, बिक्री विलेख के संबंध में गवाह, लेखक और स्टाम्प विक्रेता होने के कारण, परिवादी को किसी भी तरह से धोखा दिया।

(जोर दिया गया)

21. इस प्रकार, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन देने वाले को अभियुक्त द्वारा प्रतिनिधित्व अपराध बनाने के लिए अनिवार्य है। लेकिन हाथ में मामले में, मैं पाता हूँ कि परिवादी का कोई आरोप नहीं है कि किसी भी अभियुक्त ने उसे किसी भी संपत्ति के साथ भाग लेने के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है। इस प्रकार, किसी भी प्रतिनिधित्व के अभाव में, परिवादी के किसी भी धोखाधड़ी या बेईमान प्रलोभन का सवाल नहीं उठता है।

22. इसके अलावा, परिवादी ने किसी भी संपत्ति को अभियुक्त व्यक्तियों को नहीं दिया है, न ही उसने बिक्री-विलेख को निष्पादित किया है। इस प्रकार, विचाराधीन भूमि पर उसका अधिकार, यदि कोई हो, अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि उसका अधिकार खरीदार को नहीं दिया जा सकता है यदि परिवहन विलेख/बिक्री-विलेख किसी पटना उच्च न्यायालय सी. आर. द्वारा निष्पादित किया गया है अन्यथा, जिसके पास विचाराधीन भूमि का अधिकार नहीं है। एक खरीदार केवल तभी स्वामित्व प्राप्त कर सकता है जब विक्रेता के पास संपत्ति का अधिकार हो। यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अपने से बेहतर शीर्षक का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, जैसा कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय बनाम यूरेका बिल्डर्स बनाम गुलाबचंद (2018) 8 एस. सी. सी. 67** स्पष्ट रूप से निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया:

“35. यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि एक व्यक्ति केवल किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी मूर्त संपत्ति में अधिकार, शीर्षक या हित हस्तांतरित कर सकता है जो उसके पास है और इसे विचार के लिए या अन्यथा हस्तांतरित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति के पास किसी भी मूर्त संपत्ति में जो भी ब्याज है, वह केवल उसी ब्याज को दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है और कोई अन्य ब्याज नहीं, जो उसके पास स्वयं मूर्त संपत्ति में नहीं है।

36. इसलिए, एक बार जब यह साबित हो जाता है कि किसी भी मूर्त संपत्ति के हस्तांतरण की तारीख को, संपत्ति के विक्रेता का उस पर कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज नहीं था, तो ऐसी संपत्ति के खरीदार को उसके द्वारा विचार के लिए या अन्यथा

खरीदी गई संपत्ति में कोई अधिकार, स्वामित्व और ब्याज नहीं मिलेगा। इस तरह का स्थानांतरण एक अवैध और अमान्य हस्तांतरण होगा।

(जोर दिया गया)

23. यहां जे. आई. टी. का उल्लेख करना भी उचित होगा। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जेआईटी विनायक अरोलकर बनाम गोवा राज्य और अन्य। (2024 की आपराधिक अपील संख्या 393)** के मामले में केवल चार दिन पहले दिनांक 06.01.25 को दिए गए निर्णय का सनददर्भ करना जरूरी है, जैसे कि उस मामले में, अभियुक्त द्वारा भूमि संपत्ति में अविभाजित हिस्से को बेच दिया गया था और सह-हिस्सेदार द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोहम्मद इब्राहिम मामले (सुप्रा)** पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित रूप से प्राथमिकी को रद्द कर दिया:

“ 12.1 इस मामले में, यह समझना असंभव है कि अपीलार्थी ने चौथे प्रतिवादी को कैसे धोखा दिया और कैसे अपीलार्थी द्वारा बिक्री विलेखों के निष्पादन के कार्य ने चौथे प्रतिवादी को शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति में नुकसान या नुकसान पहुँचाया या होने की संभावना थी। अपीलार्थी ने चौथे प्रत्यर्थी की ओर से बिक्री विलेखों को निष्पादित करने का इरादा नहीं किया है। उन्होंने चौथे प्रतिवादी के अधिकारों को हस्तांतरित करने का इरादा नहीं किया है। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी ने विषय संपत्ति को हस्तांतरित करने या वितरित करने के लिए चौथे प्रतिवादी को धोखा दिया।

(जोर दिया गया)

24. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत कोई अपराध नहीं पाया गया है।

25. परिवादी द्वारा अपने बयानों में धारा 200 आ.दं.सं के तहत कोई आरोप नहीं लगाया गया है जो आई. पी. सी. की धारा 323 और 504 के आवेदन को आकर्षित कर सकता है।

इस न्यायालय का निष्कर्ष/निष्कर्ष

26. इसलिए, मेरे विचार में, अरिवाद भारतीय दंड संहिता की धारा 323,420,467,468 और 504 के तहत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है। वर्तमान मामले के कथित तथ्य और परिस्थितियाँ, अधिक से अधिक, पक्षों के बीच विशुद्ध रूप से दीवानी प्रकृति का विवाद हैं, जिसका समाधान उचित दीवानी मुकदमा दायर करके दीवानी अदालत के समक्ष निहित है। अभिलेख पर मौजूद सामग्री के अनुसार, परिवादी/ओ. पी. संख्या 2 ने पहले ही 12.06.2015 दिनांकित बिक्री विलेख शून्य घोषित करने के लिए अवर-न्यायाधीश, मुंगेर की अदालत में टी. एस. 262/2015 वाला एक दीवानी मुकदमा दायर कर दिया है।

27. इसलिए, अक्षेपित आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रद्द और दरकिनार किए जाने योग्य है।

28. तदनुसार, वर्तमान याचिका 2015 के शिकायत मामला संख्या 687 में श्री अरविंद कुमार सिंह, विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मुंगेर द्वारा पारित दिनांकित 18.04.2016 के अक्षेपित आदेश को रद्द एवं दरकिनार करते हुए स्वीकृत की जाती है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

एस.अली/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।